बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक 13.02.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन सोन नहर प्रमंडल, आरा अंतर्गत आरा मुख्य नहर के आरा लॉक (कि०मी० 84.50) से धड़हरा पुल (कि०मी० 87.62) तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2022-23 में समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार हेतु आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री अवधेश कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी – ऑनलाईन

कार्य की विवरणी :–

(i)	कार्य का नाम	:	आरा मुख्य नहर के आरा लॉक (कि०मी० 84.50) से धड़हरा पुल (कि०मी० 87.62) तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।
(ii)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	1421.94 लाख रूपये, विभागीय पत्रांक 842 दिनांक 14.05.2022
(iii)	एकरारनामा सं०	:	01SBD/2022-23, दिनांक 26.12.2022
(iv)	एकरारित राशि	:	1030.53683 लाख रूपये
(v)	संवेदक का नाम	:	मे० शाहाबाद इंजिनियर्स प्रा० लि०, डेहरी
(vi)	कार्य प्रारंभ की तिथि	:	26.12.2022
(vii)	कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि	:	30.06.2023
(viii)	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	:	18.03.2025
(ix)	कार्य की अद्यतन स्थिति	:	100 प्रतिशत (कार्य पूर्ण)
(x)	प्रस्तावित समय वृद्धि	:	18.03.2025
(xi)	प्रमंडल का नाम	:	सोन नहर प्रमंडल, आरा

समीक्षा :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन सोन नहर प्रमंडल, आरा अंतर्गत आरा मुख्य नहर के आरा लॉक (कि०मी० 84.50) से धड़हरा पुल (कि०मी० 87.62) तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2022-23 के समयवृद्धि हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी के पत्रांक 2276 दिनांक 23.06.2025 द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई है।

संवेदक द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित किया गया है कि समयवृद्धि होने के उपरांत उनके द्वारा विस्तारित अवधि में Price Escalation का कोई वित्तीय दावा नहीं किया जायेगा।

समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्यतः निम्न कारणों से एकरारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका :–

(i) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा दिनांक 09.05.2023 से दिनांक 17.02.2025 के बीच स्थल पंजी पर निम्नलिखित कार्यों का आदेश दिया जाना :–

a) धरहरा पुल से लॉक तक (1.90 कि०मी०) डिजाइन बेड लेवल से Existing कैनाल का बेड लेवल ऊँचा होने के कारण, जल निकासी हेतु 1.9 कि०मी० में (धरहरा पुल से बधौत लॉक तक) एक छोटा चैनल के निर्माण कार्य का अतिरिक्त प्रावधान।

b) नहर के बायें बांध की ओर प्राक्कलन से 10.10 मी० तथा दायें बांध की ओर 0.70 मी0 अधिक लम्बाई में लाईनिंग कार्य तथा कॉपिंग की चौड़ाई में वृद्धि होना।

c) टॉ वाल के फान्डेशन कटींग के लिए वर्किंग स्पेस बनाए जाने हेतु अतिरिक्त Earth work का प्रावधान होना।

d) टॉ वाल के निर्माण के दौरान डिवाटरिंग कार्य का प्रावधान किया जाना।

e) वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 650 दिनांक 06.04.2024 के आलोक में आरा लॉक से धरहरा पुल तक लाईनिंग कार्य में पड़ने वाले वृक्षों का पातन/विस्थापन कार्य।

(ii) रब्बी एवं खरीफ पटवन अवधि में नहर में जल प्रवाह होना।

(iii) नहर बेड, स्लोप एवं डॉवेल एरिया जगह–जगह पर वृक्षों का पातन/विस्थापन कार्य हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के आदेश के प्रत्याशा में आंशिक रूप से कार्य बाधित होना।

(iv) आरा मोहनियाँ रोड के चौडीकरण के कारण काम में बाधा (नहर के बाएं तट पर नाला निर्माण एवं धरहरा पुराने पुल के समानान्तरण नये पुल का निर्माण कार्य) होना।

(v) आरा शहरी क्षेत्र के नाला का जल निकासी मुख्य नहर (कार्य स्थल) में होने के कारण, नहर में पुरे वर्ष लगातार जल प्रवाह रहने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित होना।

SBD एकरारनामा के Clauses of Contract की कंडिका 12.1 के अनुसार एकरारित राशि में वृद्धि के क्रम में कार्य को पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार दिये जाने का प्रावधान है।

	बाधित अवधि		अभ्युक्ति
(क)	खरीफ एवं रब्बी सिंचाई के कारण कार्य बाधित हुई है। दिनांक 01.01.2023 से 15.02.2023 तक। दिनांक 14.03.2023 से 25.03.2023 तक। दिनांक 17.06.2023 से 12.11.2023 तक। दिनांक 19.01.2024 से 16.02.2024 तक। दिनांक 01.07.2024 से 05.10.2024 तक। दिनांक 17.01.2025 से 31.01.2025 तक।	348 दिन	
(ख)	छठ पर्व हेतु नहर में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के कारण कार्य बाधित हुआ है। दिनांक 04.11.2024 से 08.11.2024 तक।	05 दिन	

(ग)	ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य बाधित हुआ है। दिनांक 16.04.2023 से 30.04.2023 तक। दिनांक 01.05.2023 से 31.05.2023 तक। दिनांक 06.10.2024 से 31.10.2024 तक।	72 दिन	
(घ)	पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क, पुल एवं नाला निर्माण के फलस्वरूप कार्य बाधित हुआ है। दिनांक 17.02.2024 से 28.02.2024 तक। दिनांक 01.03.2024 से 31.03.2024 तक।	43 दिन	
(घ)	वृक्षों का पातन/विस्थापन कार्य के कारण कार्य बाधित हुआ है। दिनांक 01.04.2024 से 05.06.2024 तक।	66 दिन	
	कुल	534 दिन	

कार्यकारी अवधि की गणना		
(1)	एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि (दिनांक 26.12.2022 से 30.06.2023)	187 दिन
(2)	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि (26.12.2022 से 18.03.2025)	814 दिन
(3)	कुल बाधित अवधि	534 दिन
(4)	कार्यकारी अवधि (2–3)	280 दिन

उपरोक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा उक्त एकरारनामा अंतर्गत दिनांक 18.03.2025 तक समयवृद्धि दिये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया है।

विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

सम्यक समीक्षोपरान्त् आरा मुख्य नहर के आरा लॉक (कि०मी० 84.50) से धड़हरा पुल (कि०मी० 87.62) तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2022-23 में दिनांक 18.03.2025 तक की समयवृद्धि पर विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संवेदक द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आलोक में समय विस्तार के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।

13/02/25 (अजय कुमार सिंह) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी	13/02/25 (अरविन्द कुमार वर्मा) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना	13/2/2025 (अवधेश कुमार) अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, पटना	13/2 (संतोष कुमार मल्ल) प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–03/25–I– 381 पटना, दिनांक : 16/02/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/02/26

अधीक्षण अभियंता

यो० एवं मो० अंचल०–2, पटना।

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–03/25–I– 381 पटना, दिनांक : 16/02/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/02/26

अधीक्षण अभियंता

यो० एवं मो० अंचल०–2, पटना।